2

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या– 51/2016–17

–: आदेश :–

सूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26/05/17	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता झाबु महतो, पिता– स्व0 जय महतो, जाति–कुर्मी, ग्राम–तुरीडीह, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा– तुरीडीह, थाना नं0–107 के खाता सं0–176, प्लॉट नं0–2775, रकवा 0.08 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 528/भू0सु0, दिनांक 06.08.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2120 दिनांक 09.11.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि का खतियान रैयत रूटु महतो है। 2. विक्रेता एवं क्रेता ग्राम तुरीडीह, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो, के मूल निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी महतो हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 02 एकड़ से अधिक भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को वारीशन सूत्र द्वारा प्राप्त है एवं खतियानी रैयत के वंशज है, तथा भूमि पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या–123/1 में बाउरी महतो के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म रैयती धान खेत है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा– तुरीडीह, थाना नं0–107 के खाता सं0–176, प्लॉट नं0–2775, रकवा 0.08 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0— 2231 दिनांक 01.04.2015 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0— 2227 दिनांक 07.04.2015 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता झाबु महतो, पिता— स्व0 जय महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—तुरीडीह, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो को मौजा— तुरीडीह, थाना नं0—107 के खाता सं0—176, प्लॉट नं0—2775, रकवा 0.08 एकड़ भूमि क्रेता श्रीमति दुर्गी देवी, पति गोपी महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—तुरीडीह, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित 26/05/13 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 26/05/13 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:28:21 +05:30
Location: 192.168.1.42